पठारी
07–03–2020

प्रति,

श्री प्रो. रमेश चंद जी
सदस्य
नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इण्डिया– NITI)
योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110 001

विषयः नीति आयोग के 'विजन डॉक्यूमेंट–2035' में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की खाद्य सामग्री की सूची में मांसाहारी खाद्य सामग्रियों के संदर्भ में।

महोदय,

पूर्व में पठारी (विदिशा) मध्यप्रदेश की जैन समाज के द्वारा प्रेषित मेल (pathari464337@gmail.com) के संदर्भ में आपके द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2020, गुरुवार, 2:59 p.m. को प्रेषित मेल मुझे प्राप्त हुई। एतदर्थ आपका आभारी हूँ।

नीति आयोग के द्वारा निर्मित किए गए '15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट–2035' में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की खाद्य सामग्रियों की सूची में अंडा, मांस, मछली एवं चिकन आदि मांसाहारी खाद्य सामग्रियों को शामिल किए जाने की जानकारी देशभर के विविध समाचार पत्रों व सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित हुई है। इस कारण नीति आयोग/भारत सरकार की इस योजना के ऊपर संदेहजन्य वातावरण निर्मित हुआ है।

पूर्व में अनेक प्रसंगों में सरकार के कथनों एवं कार्यप्रणाली में विरोधाभास परिलक्षित हुआ है। यथा, भारतीय रेल्वे का निजीकरण नहीं किया जाएगा, ऐसा कथन संसद एवं संसद के बाहर भी किए जाने के बावजूद दिनों–दिन इससे विपरीत कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीयकृत अनेक बैंकों का सामूहीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रमों का निजीकरण एवं विक्रय आदि भी इसके कतिपय उदाहरण हैं। अतएव कथनी एवं करनी के फर्क को देशवासी महसूस कर रहे हैं। इस संदेहास्पद वातावरण को निःसंदेह बनाए जाने हेतु अपेक्षा की जाती है कि निम्नलिखित उपायों जैसे कदम उठाए जाकर भ्रम का निराकरण किया जाए–

(1) नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट–2035 को अवलोकनार्थ सार्वजनिक किए जाने के लिए उसे आयोग की वेबसाइट पर हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सन्देहार्थियों को भी इसकी प्रति प्रेषित की जाए।

(2) देश का बहुसंख्यक भाग इस योजना से प्रभावित होने वाली है, जिसमें से बहुत से लोग ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। वे अभी अत्यधिक आधुनिक संसाधनों के प्रयोग नहीं कर पाते, इसलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, केंद्रीय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, इस विषय से संबंधित अन्य केंद्रीय मंत्री एवं नीति आयोग के द्वारा संसद के वर्तमान सत्र में अथवा संसद के बाहर उचित माध्यम से इस योजना में उत्पन्न हुए भ्रम का निराकरण सार्वजनिक रूप से करें।

(3) प्रचारित सामग्री में आपका नामोल्लेख हुआ था। इसका निराकरण हेतु आपने मेल द्वारा सूचित किया है। किंतु यह शायद आपकी व्यक्तिशः जानकारी थी। मेल में नीति आयोग के लेटर हेड, पत्र का आवक–जावक क्रमांक आदि का प्रयोग नहीं होने से संदेह की गुंजाइश अभी शेष है। अतएव नीति आयोग के सदस्य होने के नाते आपसे विनम्र अनुरोध है कि आयोग के लेटर हेड पर आधिकारिक तौर पर सूचना प्रेषित कराएँ तो कुहासा के बादलों के छटने में आपका पत्र सूर्य की भाँति दमकेगा।

(4) मेल में 'आपने अपनी जानकारी के आधार पर' सूचित किया है। कभी–कभी ऐसा देखा गया है कि पूर्ण जानकारियों के अभाव में योजना में मूलतः अन्य संदर्भ भी पाए जाते हैं। हमें विश्वास है कि नीति आयोग के आप सदस्य हैं ही। अतः इस विषयक संबंधी सभी तथ्यों/संदर्भों का अवलोकन कर हम जैसे लोगों को उचित/सही मार्गदर्शन प्रदान करें और हमारी चिन्ताओं को निरसित होने में सहयोगी बनें।

हमें विश्वास है कि हमारे अनुरोध पर ध्यान देते हुए उपरिलिखित सभी बिंदुओं को लक्ष्य में रखते हुए अतिशीघ्र सम्यक् समाधान प्रदान कर संदेह का निराकरण करेंगे/कराएँगे। आपकी अगली मेल की प्रतीक्षा में। सादर।

निवेदक

अध्यक्ष
सकल दिगंबर जैन समाज
पठारी (विदिशा) मध्यप्रदेश